फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय – 1201 एवं 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई – 400063 एवं शाखा कार्यालय – 501, 5th फ्लोर, लुहाडिया टावर, अहिंसा सर्किल, सी – स्कीम, जयपुर में स्थित व कार्यरत हैं। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड।

–प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भेरू लाल पालीवाल, पत्ता – ग्राम खटामला, तहसील – राजसमन्द, जिला – राजसमन्द, राजस्थान – 313334

– ऋणी व बन्धककर्ता

2. श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री कैलाश चन्द्र, पत्ता – ग्राम खटामला, तहसील – राजसमन्द, जिला – राजसमन्द, राजस्थान – 313334

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 43/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 03.09.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायात 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 12.04.2017 को ऋण अनुबन्ध निष्पादित कर खाता संख्या 025 – 000000066 रूपये 8,35,655/– (अक्षरे आठ लाख पैंतीस हजार छः सौ पचपन रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की निर्माणशुदा अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बॅधक किया हुआ हैं जिसका वर्णन निम्न प्रकार हैं :– कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भेरूलाल पालीवाल की अचल सम्पत्ति जो कि हल्का आबादी आराजी नम्बर – 708, ग्राम – खटामला, तहसील – राजसमन्द, जिला – राजसमन्द राजस्थान – 313334 पर स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 1062 वर्गफीट हैं। जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व में – सोहन/सूरज जी पालीवाल का मकान, पश्चिम में – आम रास्ता, उत्तर में – देवीलाल/भैरूलाल जी पालीवाल का मकान, दक्षिण – आम रास्ता। अप्रार्थीगण ने नियमित रुप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 03.12.2020 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ती (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया रूपये 9,29,753/– (अक्षरे नौ लाख उनतीस हजार सात सौ तरेपन रूपये मात्र) दिनांक 31.12.2020 तक शेष देय है व दिनांक 01.01.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2020 को डिमांड नोटिस भी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

M

अप्रार्थीगण को प्रेषित किया एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया, जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि में उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधी 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया हैं। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने के अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 28.12.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भेरूलाल पालीवाल की अचल सम्पत्ति जो कि हल्का आबादी आराजी नम्बर – 708, ग्राम – खटामला, तहसील – राजसमन्द, जिला – राजसमन्द राजस्थान – 313334 पर स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 1062 वर्गफीट हैं। जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व में – सोहन/सूरज जी पालीवाल का मकान, पश्चिम में – आम रास्ता, उत्तर में – देवीलाल/भैरूलाल जी पालीवाल का मकान, दक्षिण – आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)